



129

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: R 057 निगरानी
निगरानी/मि/2/शू/2017/3548

- १- सेवाराव पुत्र हरीशंकर,
- २- देवदत्त हरिन्दु पुत्र सेवाराव
निवासीगण ग्राम दुल्हागन, तहसील अँर,
जिला मिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्राथीगण

बिराध

- १- उर्मिला शर्मा वेवा वासुदेव शर्मा,
- २- पवन
- ३- राहुल
- ४- अभिषेक
- ५- गुहनारायण पुत्र हरीशंकर,
समस्त निवासीगण ग्राम दुल्हागन, तहसील
अँर, जिला मिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराध आदेश नायव तहसीलदार महोदय, सुरपुरा, तहसील-अँर
दिनांक १-०६-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६-
प्रक्र १३ १६-१७-अ-२७ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।



क्रमशः--२

दिनांक 26-9-17 को
श्री देवदत्त के आवेदन
का क्र. 312 सुरपुरा/
26.9.17
12.4.10.17
सुरपुरा
26.10.17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3548

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	